(ख) प्रत्येक रिग्स और ड्रिलिंग मशीन के लिए किराए के रूप में प्रतिवर्ष कितनी धनराशि का भुगतान किया जाता है और इस संबंध में विदेशों को अब तक कुल कितनी राशि का विदेशी मुद्रा में भुगतान किया जा चुका है ; और

(ग) अब तक कितने रिग्स और ड्रिलिंग मशीनों को प्रयोग में नहीं लाया गया है और इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) फिलहाल, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा भाड़े पर ली गई रिगों की संख्या क्रमशः 34 और 2 है ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

(ग) भाड़े पर ली गई उन रिगों की संख्या शून्य है जिनका अब तक उपयोग नहीं किया गया है ।

गलगण्ड का फैलना

155. श्री अजीत जोगी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश और देश के अन्य भागों में गलगण्ड रोग फल गया है ; यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इससे प्रभावित व्यक्तियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) आयोडीन की कमी के कारण कौन-कौन-सी बीमारियां होती हैं और इन बीमारियों की रोकथाम के लिए क्या उपाय किये गये हैं ;

(ग) ऐसे बच्चों और वयस्कों की अनुमानित संख्या कितनी है जो इस समय गलगण्ड रोग से पीड़ित हैं ; और

(घ) सरकार ने इस मामले में लोगों को शिक्षित करने के लिए क्या उपाय किए हैं या करने का विचार रखती है, तथा इस रोग का सामना करने के लिए पीड़ित व्यक्तियों के लिए उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री और उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दसई चौधरी) : (क) से (घ) जी, हां । सरकार को मध्य प्रदेश में तथा देश के अन्य भागों में गलगण्ड के प्रकोप की जानकारी है । पिछले तीन वर्षों के दौरान बच्चों और प्रौढ़ व्यक्तियों में गलगण्ड के प्रकोप का राज्यवार ब्यौरा **संलग्न विवरण** में दिया गया है ।

आयोडीन की कमी मानव विकास की प्रत्येक अवस्था जैसे गर्भस्थ, नवजात शिशु, बालकों, किशोरों तथा प्रौढ़ व्यक्तियों को प्रभावित करती है । आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों का क्रम निम्न प्रकार है :—

(1) **गर्भ**:—गर्भपात मृत शिशु जन्म, शिशु मृत्यु दर में वृद्धि, बौनापन, मानसिक मंदता और गूंगा/बहरापन ।

(2) **नवजात शिशु** :—नवजात गलगण्ड, नवजात अवटु-अल्पक्रियता ।

(3) **बालक एवं किशोर** :—गलगण्ड, मानसिक क्रिया में कमी, शारीरिक विकास में मंदता ।

(4) **प्रौढ़** :—गलगण्ड, अवटु अल्पक्रियता, विकृत मानसिक क्रियाशीलता । गलगण्ड, आयोडीन की कमी वाले विकारों की समस्या को रोकने के उद्देश्य से भारत सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसके तहत वर्ष 1992 तक तमाम नमक को आयोडिकृत करने का विचार है । तदनुसार 15 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, ने अपने-अपने राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में आयोडीकृत नमक को छोड़कर नमक की

बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया है, जबकि 5 अन्य राज्यों ने भी गलगण्ड स्थानिकमारी वाले अपने क्षेत्रों में इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया है और राष्ट्रीय गलगण्ड नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्हें केवल आयोडीकृत नमक ही सप्लाई किया जा रहा है ।

आयोडीन की कमी के प्रभावों और इसकी रोकथाम के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए एक संचार पैकेज को यूनिसेफ द्वारा अन्तिम रूप दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं :—

(1) आई. ओ. डी. पर शब्द चित्र बनाया गया है ।

(2) अति स्थानिकमारी वाले राज्यों में सभी प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन देना, जिनमें आयोडीकृत नमक के सेवन की आवश्यकता बताई गई हो। आकाशवाणी/दरदर्शन पर प्रसारण/प्रदर्शन के लिए स्पाट तैयार कर लिए गए हैं। पोस्टर और डैगलर तैयार कर लिए गए हैं और राज्यों को बांट दिए गए हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान सूजित बच्चों एवं वयस्कों में होने वाली गलगंड की घटनाओं का राज्यवार ब्यौरा

राज्य	जांचे गए व्यक्तियों की कुल संख्या		गलगंड से ग्रस्त पाए गए	
	बच्चे	वयस्क	बच्चे	वयस्क
1. कर्नाटक	95265	46615	4815	1523
2. राजस्थान	13916	1578	2260	216
3. महाराष्ट्र	15918	165	4531	37
4. तमिलनाडु	5453	257	1763	99
5. उड़ीसा	5400	1362	1064	244
6. मध्य प्रदेश	11624	319	2193	58
7. उत्तर प्रदेश	77035	6849	21762	1638
8. दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र	3197	1391	315	249